

प्रकाशनार्थ

पटना, 6 मई। आज आद्री, यूनिसेफ और बिहार सरकार द्वारा आयोजित “बिहार में बाल बजट और कार्यक्रम : वर्तमान अभ्यास और भावी दिशा” पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुए नई दिल्ली स्थित एनआइपीएफपी के निदेशक डॉ. रथीन राय ने कहा कि हमारे समाज में बाल बजट निर्माण को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और बच्चों के लिए वित्तपोषण स्वचालित तरीके से होना चाहिए। बिहार का प्रदर्शन बहुत अच्छा है क्योंकि यह भविष्य के लिए निवेश करते हुए औसतन 66 प्रतिशत व्यय करता है। बंगलादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वहीं, बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ (भाप्रसे) ने जोर देकर कहा कि बाल विकास के पैरामीटरों से हटने के बाद उससे उबरना लगभग असंभव है और ऐसा होने देने की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बिहार सरकार का अक्तूबर से दिसंबर तक अलग बजट बनेगा। बिहार यूनिसेफ के प्रधान जनाब असदुर रहमान ने आशा प्रकट की कि आद्री, यूनिसेफ और बिहार सरकार के बीच साझेदारी बिहार में बच्चों की स्थिति सुधारने में प्रभावी साबित होगी। आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने स्वागत भाषण किया।

पहले तकनीकी सत्र में “बिहार में बाल बजट” पर बोलते हुए यूनिसेफ, नई दिल्ली की प्रोग्राम स्पेशलिस्ट (गवर्नेंस) सुश्री सुमिता देवड़ा ने अपनी राय प्रकट की कि बच्चों की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए संज्ञानात्मक पूँजी निर्माण जरूरी है। अभी फोकस अधिकांशतः शैक्षिक परिणाम पर रहता है। संज्ञानात्मक पूँजी निर्माण में सुधार के लिए गर्भावस्था के आरंभिक चरण पर ध्यान देने की जरूरत है। उनका यह भी निष्कर्ष था कि आरंभिक उम्र में अर्थात् 0 से 6 वर्ष के बीच वाले बच्चों पर सबसे कम खर्च होता है जबकि शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों में अर्थात् 6 से 14 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक खर्च होता है। हालांकि बिहार में विगत 7 वर्षों के दौरान शिक्षा पर खर्च बढ़ा है लेकिन सुधार अपर्याप्त है। अतः आबंटन की पर्याप्तता और बाल बजट के व्यय पर काम करना जरूरी है। साथ ही, बाल बजट की कुशलता के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम सीमा के बारे में समझने की जरूरत है। सीईपीपीएफ, आद्री की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बर्ना गांगुली ने भी बिहार में बाल बजट पर अपने विचार प्रकट किए। डा. एच.के. अमरनाथ, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पॉलिसी इस सत्र के कमेन्टेटर थे। सत्र की अध्यक्षता बिहार के राज्य चुनाव आयुक्त श्री ए के चौहान ने की।

“बिहार में बच्चों के सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम” पर दूसरे तकनीकी सत्र के दौरान आद्री की प्रोजेक्ट कंसल्टेंट सुश्री शैली टक्कर ने सत्र की एकमात्र प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या में बच्चों

और युवाओं (0 से 18 वर्ष की) का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा है। कुल 153 सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया है जिनमें 59 राज्य योजनाएं और 94 केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। इन सारी परियोजनाओं को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है -उत्तरजीविता (सर्वाइवल), स्वास्थ्य एवं पोषण, शैक्षिक विकास, तथा संरक्षण एवं भागीदारी। इनके शोध परिणामों से पता चलता है कि हमें आच्छादन (कवरेज) के लक्ष्यीकरण, कनवर्जेंस और जवाबदेही, बजट संबंधी अवरोध, पारदर्शिता की कमी तथा राज्य की क्षमता में मौजूद कमियों को दूर करने की जरूरत है। डा. नीलाचला आचार्या, रिसर्च कॉर्डिनेटर, सीबीजीए, नई दिल्ली और श्री अनिन्दो बनर्जी, निदेशक, प्रोग्राम इनिसिएटिव, प्रैक्सिस, पटना इस सत्र के कमेन्टेटर थे। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने की।

यूनीसेफ की सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट डॉ. उर्वशी कौशिक द्वारा “बच्चों के लिए सार्वजनिक सेवा प्रदान में वृद्धि” विषय पर संचालित पैनल डिस्कशन में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की निदेशक सुश्री अवनी कपूर, सीबीपीएस, बंगलुरु के रिसर्च एडवाइजर डॉ. मधुसूदन राव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण समिति की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती निशा झा, और सेव द चिल्ड्रेन, बिहार के क्षेत्रीय प्रधान जनाब रफाय हुसैन ने अपने विचार व्यक्त किए। पैनल डिस्कशन की अध्यक्षता बिहार के श्रम आयुक्त श्री गोपाल मीना ने की।

बिहार यूनिसेफ के प्रधान जनाब असदुर रहमान ने समापन भाषण दिया। समापन सत्र की अध्यक्षता बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. चौहान ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)